न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अंशुल आमेरिया (आर ए एस)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 141 / 2019

उनवान

1. छीतर पुत्र घीसा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम बैनपुरा, नसीराबाद
—वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र सुभाष सिंह
2. नानी पत्नी सुभाष सिंह जाति रावत निवासी ग्राम बैनपुरा, नसीराबाद
—प्रतिवादीगण :— शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :— 26-4-23

—: निर्णय :—

वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बैनपुरा प0म0 राजगढ में वादी की खातेदारी / काश्तकारी की आराजीयात स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
101 / 75	1790	0.70
	1791	0.09
	1792	0.16
	1873	0.33
	1882	0.19
	1884	0.71
	किता 6	2.18

राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा [illegible] है। उक्त आराजी पर वादी वर्षो से फसल काश्त कर अपना व परिवार [illegible] पोषण कर रहा है। वादी के परिवार के ही प्रतिवादी संख्या 1 व [illegible] को बाद ने उक्त आराजी पिछले 1 वर्ष से बाटे [illegible] दिनांक 01.09.19 को बांटे से मुक्त कराने हेतु प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो लडाई [illegible] गडा करते हुये वादी [illegible] 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:59:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पर जबरन फसल काश्त कर दी। तथा वादी की भूमि को मुक्त करने से साफ इंकार कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाद विचारण के दौरान अनुपस्थित रहे।

वादपत्र का कोई खण्डन नही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई।

वादीगण अधिवक्ता ने प्रकरण में वाद के समर्थन में वादी छीतर व मेवा सिंह के बयान करवाये तथा राजस्व अभिलेख पेश किये।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अंद्योपांत अवलोकन किया गया। वादी अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। वादी ने अपने वाद के कथनों के समर्थन में जमाबदी प्रस्तुत की जिसमें वादी बहेसियत खातेदार दर्ज है। वादी के कथन अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई लेना देना नही है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को जबरन बेदखल कर उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी का पौत्र व पुत्रवधु है किन्तु वादी ने उक्त आराजी कय की है जिसके अनुसार भी आराजी मुतनाजा वादी की स्वअर्जित सम्पति सिद्व होती है। प्रतिवादीगण वाद के खण्डन हेतु प्रकरण में उपस्थित नही रहे है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे वादी के कथनों का खण्डन होता हो। प्रतिवादीगण आज उक्त आराजी पर काबिज है तो किस आधार पर व किस हक से काबिज है यह उनके द्वारा उपस्थित हो कर नही बताया गया है। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादी की सह खातेदारी में दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा अतिचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 01.09.2019 से बहेसियत अतिकमी सिद्ध होते है। जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी के कब्जे काश्त में दखलदाजी व मदाखलत नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1790/0.70, 1791/0.09, 1792/0.16, 1873/0.33, 1882/0.19 व 1884/0.71 किता 6 रकबा 2.18 की आराजीयात से प्रतिवादी स0 1 व 2 को बेदखल कर वादी को कब्जा दिये जाने का [illegible] जाता है एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न [illegible] तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:59:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छीतर बनाम विजय सिंह

दावा बाबत :– 88, 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 141 / 2019
पेश करने की दिनांक – 05.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.) व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1790 / 0.70, 1791 / 0.09, 1792 / 0.16, 1873 / 0.33, 1882 / 0.19 व 1884 / 0.71 किता 6 रकबा 2.18 की आराजीयात से प्रतिवादी स0 1 व 2 को बेदखल कर वादी का कब्जा दिये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 04 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:59:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद